न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 463 / 2017

प्रार्थी :

1. किशनसिंह पुत्र भीखसिंहजी
2. राजुसिंह पुत्र भीखसिंह जातियान राजपुरोहित निवासयान तिरसींगड़ी सोढा हाल हनुमान हत्था चौक, राजपुरोहित सभा भवन के पास, बीकानेर, जिला बीकानेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. ओमसिंह पुत्र आईदानसिंह नि0 तिरसींगड़ी सोढा तह0 पचपदरा
2. सवाईसिंह पुत्र आईदानसिंहजी
3. श्रीमती मामदेवी पत्नि ओमसिंहजी
4. सोनीदेवी पत्नि सवाईसिंहजी नि0 तिरसींगड़ी सोढा
5. श्यामसुन्दर पुत्र भीखसिंहजी नि0 बीकानेर
6. पुनमसिंह पुत्र हनुमानसिंह
7. तेजसिंह पुत्र हनुमानसिंह
8. संतोष पुत्री हनुमानसिंह पत्नि श्रवणसहि
9. सरस्वती बेवा हनुमानसिंह
10. कोमल पुत्री हनुमानसिंह (नाबालिग) कुदरती वलिया माता विप्रार्थी संख्या 9
11. नवलकिशोर पुत्र भवरसिंहजी
12. गणेश पुत्र भवरसिंह राजपुरोहित
13. घनश्याम पुत्र धनराज
14. चन्द्रशेखर पुत्र घनश्याम
15. शान्तीदेवी बेवा धनराज सभी जातियान राजपुरोहित निवासी बीकानेर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- 1. श्री जेठाराम सिंहल प्रार्थी वकील
2.श्री अचलाराम थोरी विप्रार्थी वकील

आदेश

दिनांक :- 30.1.2018

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा ग्राम तिरसींगड़ी सोढा पटवार क्षेत्र नेवरी तहसील पचपदरा में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के पुस्तैनी संयुक्त कब्जे की खातेदारी के खेत खसरा नं0 200 रकबा 95 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नं0 205 रकबा 139 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नं0 275 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नं0 277 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 395 रकबा 02 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 437 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं0 15 बिस्वा खसरा नं0 472 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 476 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 479 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 327 बीघा 03 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जा कास्त है। जिसमें रामदानसिंह के तीन पुत्र भीखसिंह, आईदानसिंह व भवरसिंह थे जिसमें से भीखसिंह, राणसिंह पुत्र मदरूपसिंहजी के गोद चले जाने से ग्राम तिरसींगड़ी सोढा की आयी हुई संयुक्त कब्जे कास्त की उक्त राजस्व भूमि में भीखसिंह, आईदान, भवरसिंह, के 1/2 हिस्सा दर्ज है जो संयुक्त रूप से कब्जा कास्त रहा है। जो राजस्व अभिलेख की उक्त खसरे की गिरदावरी संवत 2010 से 2017 के रेकर्ड में स्पष्ट है। भीखसिंह का परिवार अपनी रोजी रोटी हेतु बीकानेर निवास करने लग एवं काश्त के समय गांव आते जाते रहे। भीखसिंह के छोटे भाई आईदानसिंह व भवरसिंह जो तिरसींगड़ी सोढा में ही रहते थे एवं राजस्व अधिकारियों से मिलावट व साजिश करके राजस्व रेकर्ड की खसरा बंदोबस्त संवत 2009 मे काट छांट करवाकर हिस्सों मे परिवर्तन करवा दिया व 2/3 हिस्सा आईदानसिंह, भवरसिंह पुत्र रामसिंह एवं भीखसिंह वल्द राणसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

करवा दिया जबकि मौके पर कब्जा काश्त 1/2 हिस्से पर ही था एवं 1/2 हिस्से के अनुसार आज पक्षकारान मौके पर काबिज है। उक्त काट छांट के अनुसार गलत तरीके से जमाबन्दी खतौनियां तैयार हो रही जो गलत तरीके से तैयार की जमाबन्दी खतौनियां मौके के कब्जे की स्थिति के विपरीत होने से विधि विरूद्व रूप से तैयार की गई है, जो किसी भी रूप से सही एवं सत्य नही है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा यह एलानियां धमकी दिनांक 25.6.2017 को दी गई कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त राजस्व भूमि के मालिक है, जिससे विप्रार्थीगण भूमि का बेचान करने पर आमदा है, जबकि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि मे गलत तरीके से दर्ज हुए हिस्सो के अनुसार भूमि को बेचान करने का विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को कोई हक व अधिकार नहीं है।ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे बंटवाडे का वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाने न्यायालय मे अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष मे एव विप्रार्थीगण के विरूद्व दौराने दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विप्रार्थीगण स्वय उनके ऐजेन्ट, मजदूर ठेकेदार इत्यादि वादग्रस्त सहखातेदार मे प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी तरह का मन गठन कानून हाथ मे लेकर अवैध एवं अनाधिकृति तरीके से अतिचार एव कोई दखल /हस्तक्षेप स्वय प्रार्थी के विधि पूर्ण कब्जा काश्त खातेदारी की वादग्रस्त सहखातेदार कृषि भूमि मे अवैध अचिार कर देते है तो प्रार्थी का अपार अपरिमेित क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे करना सम्भव नही होगा। यदि दौराने दावा विप्रार्थीगण को अवैध एव अनाधिकृत दखल/हस्तेक्षप करने से निषेधित एवं निवारित किया जा तो विप्रार्थीगण को कोई हानि नही होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं साम्या का पवित्र सिद्वान्त काबिज खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी के हक/ पक्ष मे ही विद्यमान है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर विप्रार्थी स. 1 ता 4 06 ता 09 व 11 ता 16 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए विप्रार्थीगण की और से जबाब पेश किया गया ।

हमने दोनो पक्षो के वकीलो की बहस को सुना व मनन किया पत्रावली के संलग्न दस्तावेजा जमाबदी सवत 2012–2016 का अवलोकन किया गया दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली के सलग्न दस्तावेजो का अवलोकन व अध्ययन किया गया। चूकि प्रार्थीगण उक्त भूमि के सहखातेदार होने के आधार पर प्रकरण पेश किया है, दानो पक्षकाराने के कथनो अनुसार हिस्से अलग अलग होना जाहिर है। उक्त विवाद का निस्तारण मूलवाद में होगा।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन पत्र का निस्तारण इस प्रकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारान दौराने दावा बेचान हस्तान्तरण बक्षीस नहीं करे और दौराने दावा वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार कब्जा काश्त मे कोई पक्षकार एक दूसरे को दखल हस्तक्षेप नही करें।

आदेश आज दिनांक 30.1.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(भगीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner